बाल विवाह मुक्त भारत
CHILD MARRIAGE FREE INDIA

सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भारत | SAFE CHILDHOOD, SAFE INDIA

बालविवाह बहुत प्राचीन कुरीति है जो हमारे समाज में अनंतकाल से विद्यमान है। यह बच्चों से उनका बचपन छीन लेती है और उन्हें एक ही रात में बड़ा कर देती है। भारत में 23.3 प्रतिशत महिलाओं (20-24 वर्ष की आयुवर्ग के बीच) का विवाह उनके 18 वर्ष के होने से पहले ही हो गया था। 1 करोड़ 20 लाख बच्चों की शादी (2019-2021, एनएफएचएस -5) उनकी विवाह की कानूनी उम्र से पहले ही हो गयी थी, जिनमें से 52 लाख बच्चे लड़कियां थीं। (2021 की जनगणना)

बाल विवाह किसी भी बच्चे के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य, भविष्य एवं उसके पूरे जीवन को प्रभावित करता है। यह पीढी गत गरीबी के चक्र में फंसाता है और अंतत: देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करता है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बाल विवाह को बच्चों के साथ बलात्कार की श्रेणी में घोषित किया है, और इसे बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा संकट बताया है।

इसके समाधान के लिए और बाल विवाह को समाप्त करने लिए एक निर्णायक एवं समर्पित कदम के रूप में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया।

बाल विवाह मुक्त भारत देश के 300 से अधिक प्रभावित जिलों में नागरिक समाज संगठनों और महिला कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में संचालित हो रहा एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक बाल विवाह का उन्मूलन करना है ताकि कम उम्र की 3 करोड़ लड़कियों को असमय शादी से बचाया जा सके। यह अभियान देश में बाल संरक्षण सुनिश्चित करने वाली मौजूदा सरकारी नीतियों और कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करके संचालित किया जा रहा है।

अब तक की यात्रा – बाल विवाह मुक्त भारत अभियान

चरण 1 शुभारम्भ

16 अक्टूबर 2022 को, भारत भर के **7,600** गांवों में **76,000** से अधिक साहसी महिलाएं सड़कों पर आईं और इसके कारण बाल विवाह मुक्त भारत देश में बाल विवाह के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन बन गया।

उसके बाद से---

इस अभियान ने **288** जिलों में **160 साझी एनजीओ** के एक मजबूत गठबंधन का निर्माण किया है, जो बाल विवाह को रोकने के लिए गांवों में काम कर रहे हैं।

हमारे संगठनों के इन साझा प्रयासों से पूरे भारत में 1 करोड़ से अधिक लोगों ने बाल विवाह समाप्त करने की शपथ ली है, पिछले एक वर्ष में **1,700** से अधिक **बाल विवाह** रोके गए हैं एवं साथ ही **171** से अधिक **एफआईआर** दर्ज की गई हैं।

असम में, राज्य सरकार ने बाल विवाह के विरुद्ध एक राज्यव्यापी कार्रवाई आरम्भ की, जिसके परिणामस्वरूप लगभग **4,000 मामले** दर्ज किए गए और **3,000 व्यक्तियों** को गिरफ्तार किया गया। (स्रोत: द प्रिंट 18 फरवरी, 2023)

चरण 2 मशाल को आगे ले जाना

16 अक्टूबर 2023 को निम्नलिखित पर ध्यान रहेगा:

बाल विवाह मुक्त देश बनाने के लिए बाल सुरक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले हितधारकों के साथ- साथ **महिला नेताओं को संगठित करना, संवेदनशील बनाना और सशक्त बनाना।**

बाल विवाह की रोकथाम में पुलिस, बाल विवाह निषेध अधिकारियों और मजिस्ट्रेट से निषेधाज्ञा आदेश जारी करवाकर **समय से कार्रवाई करना।**

लक्ष्य

बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण

उद्देश्य

- भारत भर के 300 सबसे अधिक प्रभावित जिलों के 50,000 गांवों को बाल विवाह मुक्त बना कर वर्ष 2025 तक बाल विवाह को 23.3% (एनएफएचएस-5) से घटाकर 10% तक लाना; और इस प्रकार वर्ष 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना
- बाल विवाह के उन्मूलन के लिए पूरे भारत में नागरिकों को जागरूक करना, प्रोत्साहित करना और 5 करोड़ प्रतिज्ञाएं सुनिश्चित करना
- बाल विवाह उन्मूलन के लिए समुदाय और ग्राम-स्तरीय संस्थानों को मजबूत करना
- महिलाओं को एक नेतृत्व के रूप में सशक्त करना एवं उन्हें अपने गांवों में बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सक्षम बनाना
- धार्मिक नेताओं, स्थानीय समुदायों, मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों से अपील करना कि वे अपने क्षेत्रों में बाल विवाह का विरोध करें एवं बाल विवाह कराने से इंकार करें।
- बाल विवाह से संबंधित शिकायतों पर तत्काल प्रतिक्रिया के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बाल संरक्षण संस्थाओं की क्षमता का निर्माण करना ।

रणनीति

बाल विवाह की समस्या को हल करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों, संस्थानों, वैधानिक निकायों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा एक समग्र और समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य लक्षित हस्तक्षेपों के जरिए बाल विवाह ख़त्म करने की प्रक्रिया को तेज करना है। यह अभियान 'PICKET' रणनीति पर आधारित है क्योंकि इसके लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

पूरे भारत में बाल विवाह से निपटने के लिए 'PICKET' रणनीति

- **P** (Policy, Prevention & Protection) बाल विवाह की **रोकथाम** और इससे **बचाव** के लिए **नीतिगत** हस्तक्षेप;
- **I** (Investment & Institution) बाल विवाह की रोकथाम के लिए क्षमता और **संस्थानों** में **निवेश**;
- **C** (Convergence & Community) स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा तथा **सामुदायिक भागीदारी** के लिए सेवाओं का प्रयोग
- **K** (Knowledege) **ज्ञान**-संचालित निर्णय लेना;
- **E** (Education) 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए एक अधिकार के रूप में **शिक्षा**, और कौशल एवं आजीविका प्रशिक्षण;
- **T** (Technology) परिवर्तन के लिए **तकनीक** उपयोग

माँगें

बारहवीं कक्षा तक सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना

कक्षा बारह तक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए योजनाओं और बुनियादी ढांचे के लिए समर्पित बजट का आवंटन

उपस्थित डाटा को वास्तविक समय में विश्लेषण योग्य बनाना और अनियमितताएं मिलने पर हस्तक्षेप

समाज के सभी वर्गों के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू करना एवं क्रियान्वित करना

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम दिवस

16 अक्टूबर 2023

कदम बढ़ाने का आह्वान:

5 करोड़ लोग और महिला नेताओं के साथ मोमबत्तियां/दीये जलाएंगे, मशाल जुलूस निकालेंगे और ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से बाल विवाह को समाप्त करने का संकल्प लेंगे।